न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 28 सन 2023

पंजीयन दिनांक :- 6.4.2023

1. शांतिलाल गोद पुत्र शिवलाल खटीक निवासी-घोसूण्डा ।
2. नानीबाई पत्नी शिवलाल खटीक दोनो निवासी-घोसूण्डा तहसील एवं जिला चित्तौडगढ ।

-अपीलांटगण

विरुद्ध

1.नानूदास पिता छोगालाल बैरागी निवासी-रोजडा ।
2.राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

-रेस्पोडेंगण

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ मिसल क्रमांक 207/2015 निर्णय दिनांक दिनांक 15.7.2016

उपस्थित- 1. राकेशपुरी गोस्वामी अधिवक्ता अपीलान्टगण
2.श्री पूरणमल स्वर्णकार राजकीय अधिवकता रेस्पो.2

निर्णय

दिनांकः-27.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार हे कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 013 ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-83 के अन्तर्गत ग्राम घोसूण्डा की खाता संख्या 494 में अंकित आराजी नम्बर 623,629 किता 02 रकबा 0.59 है जिसके साबिक आराजी नम्बर 1336 रकबा 2 बीघा 15 विश्वा के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.7.2016 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम घोसूण्डा की खतौनी संख्या 494 में अंकित आराजी किता02 रकबा 0.59 है0का वादी को खातेदार घोषित किया गया तथा राजस्व रिकार्ड में अंकित विक्रेता खातेदार मृतक लक्ष्मीजान का नाम विलोपित कर इस के बजाय नानूदास पिता छोगादास बैरागी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया गया जिसके विरुद्ध अपील इसन्यायालय में प्रस्तुत हुई है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें ।

इस न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था इस हेतु अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जा.दी का पेश किया गया प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य उचित प्रतित होने से उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील विलम्ब से पेश की गयी इस हेतु अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून मियाद अधिनियम का पेश किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य की जाकर अपील अन्दर म्याद 'शूमार की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त आराजियात जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.12.1979 लक्ष्मीजान गुरू हीराजान निवासी घोसूण्डा से वादी ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है वादी अनपढ होने से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही करा सका एवं विक्रेता लक्ष्मीजान की दिनांक 11.4.2003 को मृत्यु हो गई इस कारण वादी को खातेदार घोषित किया जावें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर बिना साक्ष्य सुनवाई के वाद पत्र को ही सही मानते हुये वाद पत्र डिक्री कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है । अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो02 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायायलय के निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होना नही मानते हुए राजकीय भूमि के सम्बन्ध में अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने कब्जे के आधार पर मौजा घोसुण्डा तहसील चितौडगढ की बिलानाम आराजी नम्बर 623 व 629 कुल किता 2 कुल रकबा 59 हैक्टर के सम्बन्ध में जो खातेदार घोषित किया है उसके सम्बन्ध में विक्रेता लक्ष्मीजान को विक्रय का अधिकार नही होने से उक्त विक्रय के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय व डिक्री पारित की है उसे निरस्त की जाकर विवादित आराजियात को सिवाय चक भूमि दर्ज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहनता से अवलोकर किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी में विवादित आराजियात का खातेदार लक्ष्मीजान गुरू हीराजान दर्ज रेकार्ड है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विवादित कुषि आराजियात को जरिये बहनामा दिनांक 29.12.1979 को 93 रूपये में क्रय करना बताया है जिसके सम्बन्ध अपंजीकृत बहनामे के छायाप्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

विचारण न्यायालय में प्रदर्शित की है। खातेदार लक्ष्मीजान का स्वर्गवास हो चुका है जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी ने भूमिधारी रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट विचारण न्यायालय में कही पक्षकार मुकदमा नही रहा है फिर भी उक्त आराजियात जिसके साबिक आराजी नम्बर 1336 दिनांक 05.05.1962 को लक्ष्मीजान से अपीलांट के पिता शिवलाल के द्वारा क्रय करना बताते हुये अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह अपंजीकृत होकर छायाप्रति है व जो गोदनामा इस न्यायालय में प्रस्तुत है वह नानीबाई के द्वारा शांतिलाल के पक्ष में पंजीकृत कराया जाना अंकित है जो विवादित आराजियात से किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकर इस प्रकरण से नही रखता है जिसे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 व धारा 5 कानून म्याद स्वीकार नही होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी सबूत के रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी के पक्ष में राजकीय भूमि की घोषणा व डिक्री पारित की है वह भी विधिसम्मत नही होने से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त की जाकर विवादित कृषि आराजियात सिवाय चक बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। रेस्पोडेंट संख्या 2 उक्त कृषि आराजियात बिलानाम दर्ज कर कब्जे सरकार लिये जाने की अविलम्ब कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(प्रदीप सिंह [illegible])
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 28/2023/डिक्री

1. शांतिलाल गोद पुत्र शिवलाल खटीक निवासी-घोसूण्डा ।
2. नानीबाई पत्नी शिवलाल खटीक दोनो निवासी-घोसूण्डा तहसील एवं जिला चित्तौडगढ ।

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1. नानूदास पिता छोगालाल बैरागी निवासी-रोजडा ।
2. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौडगढ ।

-रेस्पोडेंगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ वाद पत्र धारा 88 प्रकरण संख्या 207/15 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीनस्थ विद्धान विचारण न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेजी सबूत के रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी के पक्ष में राजकीय भूमि की घोषणा व डिक्री पारित की है वह भी विधिसम्मत नही होने से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 निरस्त की जाकर विवादित कृषि आराजियात सिवाय चक बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। रेस्पोडेंट संख्या 2 उक्त कृषि आराजियात बिलानाम दर्ज कर कब्जे सरकार लिये जाने की अविलम्ब कार्यवाही करें।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,............................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ